भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 190

(सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

राजस्थान में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

190. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान राजसमन्द संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र की निकायों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान किन प्रमुख विकास क्षेत्रों में सीएसआर धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) क्या सीएसआर व्यय को सुव्यवस्थित करने और इसकी प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सीएसआर नीति में कोई बदलाव किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): एमसीए-21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक राजस्थान में जिला-वार तथा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I तथा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 27.05.2026 की राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से अनुसूची VII के दायरे का विस्तार करते हुए उसमें एक नई मद (xiii), अर्थात् "सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन शून्य प्रमुख लिखत का अभिदान", सम्मिलित की है। इससे शून्य कूपन शून्य प्रमुख लिखत के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के क्रियान्वयन को सुगम बनाया जाएगा। शून्य कूपन शून्य प्रमुख लिखत के माध्यम से सीएसआर के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें 'गैर-लाभकारी संगठन' तथा 'शून्य कूपन शून्य प्रमुख लिखत' की परिभाषाएँ तथा शून्य कूपन शून्य प्रमुख लिखत के माध्यम से सीएसआर के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित मानदंड उक्त नियमों में सूचीबद्ध किए गए हैं। यह संशोधन कंपनियों के लिए अनुपालन में उल्लेखनीय सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है तथा इससे गैर-लाभकारी संगठनों को जन-कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में भी सहायता मिलेगी।

अनुलग्नक- I

दिनांक 20.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के भाग (क) एवं (ख) के संदर्भ में

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राजस्थान में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिलेवार	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	अजमेर	4.45	9.35	11.09	87.39	134.13
2	अलवर	35.88	51.18	59.16	74.92	104.76
3	बांसवाड़ा	2.40	1.49	5.55	7.62	13.71
4	बारां	6.25	6.81	11.95	16.53	27.39
5	बाड़मेर	24.55	15.74	18.56	18.93	75.65
6	भरतपुर	17.17	5.06	17.91	16.34	33.53
7	भीलवाड़ा	7.30	41.64	107.96	54.28	66.94
8	बीकानेर	4.89	16.22	22.36	20.02	59.27
9	बूंदी	0.06	0.42	2.51	3.96	4.44
10	चित्तौड़गढ़	4.97	23.31	8.38	14.63	28.18
11	चुरू	2.82	5.58	16.88	39.49	26.12
12	दौसा	3.60	4.50	3.00	2.45	6.11
13	धौलपुर	2.85	3.37	1.72	4.39	14.54
14	डीडवाना-कुचामन	-	-	0.29	0.05	-
15	डूंगरपुर	2.52	4.04	11.17	15.33	20.39
16	गंगानगर	2.18	0.84	1.75	2.35	6.11
17	हनुमानगढ़	0.06	0.31	0.49	1.67	1.82
18	जयपुर	59.13	110.12	184.59	256.96	347.79
19	जैसलमेर	4.28	5.44	12.24	28.01	25.22
20	जालौर	6.29	7.31	47.85	12.94	15.73
21	झालावाड़	2.39	3.27	2.63	3.88	1.01
22	झुंझुनू	5.52	7.73	13.73	13.91	17.90
23	जोधपुर	11.47	25.42	37.58	34.30	106.83
24	करौली	10.62	12.09	16.66	4.68	6.93
25	खैरथल-तिजारा	-	-	-	0.24	-
26	कोटा	7.90	11.05	12.19	22.97	56.09
27	कोटपुतली-बहरोड़	-	-	-	0.06	-
28	नागौर	8.01	5.82	7.87	13.85	15.82
29	पाली	10.53	16.92	21.40	33.63	36.26
30	प्रतापगढ़	0.18	0.06	-	-	2.61
31	राजसमंद	23.68	22.78	15.39	15.03	34.05
32	सवाई माधोपुर	3.43	2.52	1.02	1.56	9.91
33	सीकर	6.95	20.87	25.63	22.69	22.31
34	सिरोही	3.12	9.65	50.97	20.67	40.60
35	टोंक	0.99	5.25	3.47	2.07	6.26
36	उदयपुर	101.53	88.03	195.92	99.47	249.83
37	जिला जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है	282.01	169.67	173.29	209.45	1.93
	कुल	**670.00**	**713.85**	**1,123.16**	**1,176.73**	**1,620.16**

(31.03.2026 तक अपडेटेड डाटा**)** (स्रोत**:** कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ**)**

अनुलग्नक- II

दिनांक 20.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 190 भाग (क) एवं (ख) के संदर्भ में
वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राजस्थान में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	कृषि वानिकी	1.04	2.69	2.81	2.21	1.52
2	पशु कल्याण	14.91	12.25	35.54	42.16	52.40
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएँ/ आश्रित	1.92	0.50	0.48	0.83	0.89
4	कला और संस्कृति	9.97	11.31	41.89	24.50	51.13
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	16.30	30.79	29.79	36.71	18.66
6	शिक्षा	221.46	199.46	349.53	447.82	554.75
7	पर्यावरणीय स्थिरता	46.57	56.77	180.27	70.60	135.78
8	लैंगिक समानता	0.33	2.27	0.47	6.40	6.21
9	स्वास्थ्य देखभाल	181.95	176.58	162.37	148.90	237.78
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	18.36	18.30	36.37	86.18	125.75
11	गरीबी, भूख एवं कुपोषण का उन्मूलन	42.92	26.63	34.11	43.49	62.64
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	43.39	66.34	126.52	150.51	193.84
13	सुरक्षित पेयजल	11.91	40.28	23.88	9.50	22.78
14	स्वच्छता	12.25	13.16	14.56	16.01	20.36
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.56	2.76	13.17	14.95	14.07
16	महिलाओं के लिए आश्रय और हॉस्टल बनाना	0.61	1.34	0.32	0.89	1.35
17	अनाथालय की स्थापना	0.96	0.32	1.87	0.79	1.05
18	झुग्गी क्षेत्र विकास	3.45		0.16	0.25	0.19
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएँ	1.90	3.57	5.46	7.94	9.53
20	विशेष शिक्षा	0.60	3.81	8.06	7.52	13.50
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	2.95	0.01	-	-	-
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	8.76	15.53	21.99	25.31	24.61
23	व्यावसायिक कौशल	8.57	14.56	20.33	20.03	48.27
24	महिला सशक्तिकरण	17.42	14.61	13.08	11.35	23.10
25	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया	0.94	-	0.13	1.87	-
	कुल	**670.00**	**713.85**	**1,123.16**	**1,176.73**	**1,620.16**

(31.03.2026 तक अपडेटेड डाटा**)** (स्रोत**:** कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ**)**
